प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति)

दाण्डिक अपील क्रमांक: 2843/1999

अपीलार्थी सुनहर सिंह ध्रुव

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दिनांक 21.06.2012 को निर्णय की घोषणा के लिए सूचीबद्ध करें।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

दिनांक 19.06.2012

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(माननीय श्री प्रीतिंकर दिवाकर, न्यायमूर्ति)

दाण्डिक अपील क्रमांक: 2843/1999

अपीलार्थी सुनहर सिंह ध्रुव

विरुद्ध

प्रत्यर्थी मध्यप्रदेश राज्य

उपस्थित:- अपीलार्थी की ओर से – श्री महेंद्र दुबे, अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थी/राज्य की ओर से – श्री प्रवीण दास, उप शासकीय अधिवक्ता ।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन प्रस्तुत दाण्डिक अपील

निर्णय

(दिनांक 21.06.2012)

1. अपीलार्थी ने यह अपील दिनांक 15.10.1999 को विशेष न्यायाधीश/अपर सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 02/1997 में पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संक्षेप में “अधिनियम”) की धारा 7 तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे धारा 7 के अंतर्गत छह माह के सश्रम

कारावास एवं रु. 500/- के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)(घ) सहपठित धारा 13(2) के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं रु. 1000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, साथ ही व्यतिक्रम उपबंध भी निर्धारित किए गए हैं।

2. अभियोजन का संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि सुसंगत समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी पुलिस विभाग में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर कार्यरत था तथा उसकी पदस्थापना पुलिस थाना लोरमी, जिला बिलासपुर में थी। दिनांक 02.09.1996 को शिकायतकर्ता बाबूराम साहू (अ.सा.-1) द्वारा पुलिस अधीक्षक (लोकायुक्त), बिलासपुर के समक्ष आवेदन पत्र (प्रदर्श पी -1) यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया गया कि उसने भूमि क्रय हेतु भोला राम साहू को रु. 30,000/- उधार दिए थे तथा जब उसने उक्त धनराशि की वापसी की मांग की, तो वापसी करने के स्थान पर भोला राम साहू ने उसे भैंस चोरी के एक झूठे प्रकरण में फँसा दिया, जिसके संबंध में उसके विरुद्ध पुलिस थाना लोरमी में शिकायत दर्ज कराई गई। उक्त शिकायत दर्ज होने के कारण वर्तमान अपीलार्थी उसे निर्दोष/दोषमुक्त घोषित करने के लिए उससे रु. 4,000/- की मांग कर रहा था। उक्त आवेदन में आगे यह भी उल्लेखित किया गया कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि यदि धनराशि नहीं दी गई तो उसे कारागृह भेज दिया जाएगा। चूँकि शिकायतकर्ता अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत देने का इच्छुक नहीं था और उसके विरुद्ध कार्यवाही चाहता था, अतः उसके विरुद्ध लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई। दिनांक 03.09.1996 को प्रारंभिक पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया। दो स्वतंत्र साक्षियों, नामतः एम.एल. कुसरे (अ.सा.-8) तथा डॉ. अनुप चटर्जी (अ.सा.-7) को बुलाया गया, लिखित शिकायत प्रदर्श पी-1 उन्हें दिखाया गया, ट्रैप दल (छापा दल) का गठन किया गया तथा आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने की तैयारी की गई। 100 रुपये के मूल्यवर्ग के 40 नोटों पर फिनॉफ्थलीन पाउडर लगाकर परीक्षण का प्रदर्शन किया गया एवं तत्पश्चात ट्रैप दल (छापा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दल) अपराह्न में अभियुक्त/अपीलार्थी के निवास पर गई। शिकायतकर्ता बाबूराम साहू (अ.सा.-1) अभियुक्त/अपीलार्थी के घर के भीतर गया, उसे रु. 4,000/- प्रदान किए और बाहर आकर ट्रैप दल (छापा दल) को संकेत दिया। इसी बीच अभियुक्त/अपीलार्थी अपने घर से निकटस्थ पुलिस थाने में चला गया। इसके बाद ट्रैप दल (छापा दल) भी पुलिस थाना पहुँची तथा उसकी कमीज (शर्ट) की जेब से 100 रुपये के मूल्यवर्ग के 40 नोट, जब्ती पंचनामा प्रदर्श पी-32 के माध्यम से जब्त किए गए। फिनॉफ्थलीन परीक्षण किया गया, जो सकारात्मक पाया गया। आगे की विवेचना उप पुलिस अधीक्षक श्याम दास (अ.सा.-15) द्वारा की गई। साक्षियों परीक्षण किया गया तथा सक्षम प्राधिकारी से अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करने उपरांत दिनांक 02.09.1997 को अधिनियम की धारा 7, 13(1)(घ) तथा 13(2) के अंतर्गत अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. अभियोजन ने अपने प्रकरण के समर्थन में कुल 15 साक्षियों का परीक्षण कराया है। अभियुक्त/अपीलार्थी का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत भी अभिलिखित किया गया, जिसमें उसने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इंकार किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाए जाने का अभिवाक किया। इसके अतिरिक्त, बचाव पक्ष की ओर से अपने पक्ष के समर्थन में बिहारी लाल (ब.सा.-1) तथा राम दाऊ डड़सेना (ब.सा.-2) का परीक्षण भी कराया गया। अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा यह प्रतिरक्षा ली गई कि भोला राम (अ.सा.-12) एवं शिकायतकर्ता (अ.सा.-1) के मध्य कुछ विवाद था तथा उक्त विवाद का समाधान कराने के प्रयास में उसने शिकायतकर्ता से भोला राम को रु. 28,000/- धनराशि चुकाने के लिए कहा था, किंतु उसने अभियोजन द्वारा लगाए गए अभियोग अनुसार रु. 4,000/- की कोई मांग नहीं की थी।

4. पक्षकारों को सुनने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने इस निर्णय के कंडिका क्रमांक- 1 में वर्णित अनुसार अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध एवं दण्डित किया।

5. अभियुक्त/अपीलार्थी के अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते है कि अपीलार्थी किसी भी प्रकार की रिश्वत धनराशि की मांग नहीं की थी, जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा अभियोग लगाया गया है। वह तर्क प्रस्तुत करते है कि स्वयं शिकायतकर्ता को भोला राम (अ.सा.-12) को रु. 28,500/- देना था तथा भोला राम (अ.सा.-12) के अनुरोध पर ही अभियुक्त/अपीलार्थी उनके मध्य विवाद का समाधान कराने का प्रयास कर रहा था। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते है कि भोला राम द्वारा दिनांक 26.07.1999 को की गई शिकायत, प्रदर्श पी-4, को प्रधान आरक्षक संतोष पांडे (अ.सा.-3) द्वारा इस स्पष्ट टिप्पणी के साथ बंद कर दिया गया था कि हस्तक्षेप किए जाने का कोई प्रकरण निर्मित नहीं होता है। वह तर्क प्रस्तुत करते है कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से किसी प्रकार की मांग किए जाने का कोई अवसर ही उत्पन्न नहीं हुआ था, क्योंकि उसके संबंध में कोई भी विवाद विचाराधीन नहीं था। वह तर्क प्रस्तुत करते है कि भोला राम (अ.सा.-12), बिहारी लाल (ब.सा.-1) तथा राम दाऊ डड़सेना (ब.सा.-2) ने अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा ली गई प्रतिरक्षा का स्पष्ट रूप से समर्थन किया है। वह तर्क प्रस्तुत करते है कि मात्र धनराशि की स्वीकृति/प्राप्ति, अभियोजन द्वारा अन्य संबंधित आवश्यक तथ्यों के प्रमाणित किए बिना, अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वह आगे तर्क प्रस्तुत करते है कि लिखित शिकायत प्रदर्श पी-1 अत्यंत संक्षिप्त (अत्यल्प विवरणयुक्त) है तथा उसमें इस संबंध में कोई विवरण अंकित नहीं है कि शिकायतकर्ता अभियुक्त/अपीलार्थी से कब मिला और उसने उससे किसी प्रकार की मांग कब की। अपीलार्थी के अधिवक्ता के अनुसार, भोला राम (अ.सा.-12) सहित किसी भी साक्षी ने शिकायतकर्ता (अ.सा.-1) के कथन का समर्थन नहीं किया है।

6. इसके विपरीत, आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए प्रत्यर्थी/राज्य के अधिवक्ता तर्क प्रस्तुत करते है कि विधि द्वारा अपेक्षित अनुसार, अवैध परितोषण की मांग तथा उसकी स्वीकृति/प्राप्ति, दोनों ही तथ्यों को अभियोजन ने सिद्ध कर दिया है। वह तर्क प्रस्तुत करते

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

है कि वर्तमान प्रकरण में अभियुक्त/अपीलार्थी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए शिकायतकर्ता पर दबाव डाला तथा उससे रु. 4,000/- की मांग की, और निर्धन शिकायतकर्ता के समक्ष या तो धनराशि देने अथवा उसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प शेष नहीं था। राज्य के अधिवक्ता के अनुसार, स्वतंत्र साक्षीगण नामतः एम.एल. कुसरे (अ.सा.-8) तथा डॉ. अनुप चटर्जी (अ.सा.-7) ने अभियुक्त/अपीलार्थी से रंगे हुए नोटों की बरामदगी एवं ट्रैप कार्यवाही के संबंध में अभियोजन के प्रकरण का विधिवत समर्थन किया है। अतएव, उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि विशेष अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अभियुक्त/अपीलार्थी को दोषसिद्ध करने वाला आक्षेपित निर्णय न्यायसंगत एवं विधिसम्मत है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. शिकायतकर्ता बाबूराम साहू (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में कथन किया है कि सुसंगत समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी छोटा दरोगा (सहायक उपनिरीक्षक) के पद पर कार्यरत था। इस साक्षी के अनुसार, भोला राम (अ.सा.-12) ने उसके विरुद्ध भैंस चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी, जबकि उसने कोई अपराध नहीं किया था। उसे अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा पुलिस थाना बुलाया गया, जहाँ उसने कहा कि यदि वह उसे रु. 5,000/- दे दे तो वह मामला समझौता करा देगा, अन्यथा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस साक्षी के अनुसार उस समय अभियुक्त/अपीलार्थी के साथ कई व्यक्ति बैठे हुए थे। चूँकि वह अभियुक्त/अपीलार्थी को धनराशि देना नहीं चाहता था, अतः उसने रु. 1,000/- देने के पश्चात आयुक्त कार्यालय जाकर गांधी (पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त) से भेंट की और पूछे जाने पर बताया कि उसने कोई गलती नहीं की है, इसलिए वह धनराशि देने का इच्छुक नहीं है। इस पर उक्त गांधी ने उसे एक टेप रिकॉर्डर दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा धनराशि की मांग की जा रही है या नहीं। तत्पश्चात यह साक्षी पुलिस थाना गया, जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी ने उससे पूछा कि शेष रु. 4,000/- वह कब

देगा तथा यह भी कथन किया कि रु. 1,000/- उसे प्राप्त हो चुके हैं। अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा यह भी कथन किया गया कि यदि रु. 4,000/- नहीं दिए गए तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। उक्त वार्ता टेप रिकॉर्डर में दर्ज (रिकॉर्ड) की गई तथा उसे आयुक्त कार्यालय में किसी नायक साहब को सौंप दिया गया। दो दिन पश्चात धनराशि की व्यवस्था कर वह पुनः आयुक्त कार्यालय गया और अपने हस्ताक्षरयुक्त आवेदन प्रदर्श पी-1 प्रस्तुत किया, जिसे राम कुमार पोर्ते (अ.सा.-4) द्वारा तैयार किया गया था। इसके बाद रासायनिक परीक्षण संबंधी औपचारिकताएँ पूर्ण की गईं तथा उसने 100 रुपये मूल्यवर्ग के 40 नोट प्रस्तुत किए, जिनके क्रमांक अंकित किए गए तथा उन पर रासायनिक चूर्ण (पाउडर) लगाया गया। तत्पश्चात उक्त नोट किसी व्यक्ति द्वारा उसकी कमीज (शर्ट) की जेब में इस निर्देश के साथ रखे गए कि वह उन्हें स्पर्श न करे तथा मांग होने पर अभियुक्त/अपीलार्थी को दे दे और देने के पश्चात बाहर आकर कंधे पर तौलिया रखकर ट्रैप दल को संकेत करे। इस साक्षी के अनुसार, जब ट्रैप दल के सदस्यों ने अभियुक्त/अपीलार्थी से उसके द्वारा धनराशि स्वीकार करने के संबंध में पूछा तो उसने इससे इंकार किया। ट्रैप दल द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी की तलाशी लेने पर उक्त नोट जब्त किए गए, फिनॉफ्थलीन परीक्षण किया गया तथा औपचारिकताएँ पूर्ण कर पंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने कथन किया है कि वह और भोला राम (अ.सा.-12) भैंसों के क्रय-विक्रय के व्यवसाय में संलग्न हैं। भैंसों के क्रय-विक्रय के संबंध में अनेक सुझाव दिए गए, जिन्हें उसने अस्वीकार किया। उसने इस तथ्य से भी इंकार किया है कि राम कुमार पोर्ते (अ.सा.-4) उक्त लेन-देन में बिचौलिया था। अंबिका प्रसाद शर्मा (अ.सा.-2) पटवारी हैं, जिन्होंने घटना स्थल का मानचित्र प्रदर्श पी-4 तैयार किया। प्रधान आरक्षक संतोष पांडे (अ.सा.-3) वह साक्षी हैं, जिन्होंने दिनांक 26.07.1996 की रोजनामचा सनहा क्रमांक 1001 की प्रविष्टि सिद्ध की। इस साक्षी ने कथन किया है कि भोला राम (अ.सा.-12) की

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

शिकायत पर शिकायतकर्ता के विरुद्ध रु. 28,500/- में भैंसों के विक्रय संबंधी शिकायत दर्ज की गई थी। उक्त रिपोर्ट की टंकित प्रति प्रदर्श पी-4 तथा रोजनामचा प्रविष्टि प्रदर्श पी-5 है। उसने कथन किया कि दिनांक 26.07.1996 को ही रोजनामचा के सरल क्रमांक 104/1996 में यह उल्लेख कर दिया गया था कि पुलिस हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उसने आगे यह भी कथन किया कि वह शिकायतकर्ता को नहीं जानता और न ही उसने उसे अभियुक्त/अपीलार्थी से मिलते देखा। राम कुमार पोर्ते (अ.सा.-4) ने कथन किया कि घटना के आसपास की तिथि को जब वह ग्राम लोरमी जा रहा था, तब उसकी भेंट शिकायतकर्ता से हुई, जो उसका संबंधी है। उसने उसे सूचना दी कि अभियुक्त/अपीलार्थी ने उसे भैंस चोरी के झूठे प्रकरण में फँसा दिया है और उससे धनराशि की मांग कर उसे परेशान कर रहा है। शिकायतकर्ता के अनुरोध पर उसने लिखित शिकायत प्रदर्श पी-1 तैयार की। प्रतिपरीक्षण में उसने कथन किया कि शिकायतकर्ता ने उससे रु. 4,000/- की मांग का उल्लेख किया था, न कि अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा मांगे गए रु. 5,000/- का। उसने इस तथ्य से इंकार किया कि वह पुलिस थाना लोरमी की पुलिस की ओर से धनराशि का संग्रह करता था, यद्यपि उसने स्वीकार किया कि वह उक्त पुलिस थाने में आता-जाता था। शांतियन कुजूर (अ.सा.-5) वह आरक्षक है, जिससे रोजनामचा प्रदर्श पी-7 से प्रदर्श पी-30 तक की जब्ती की गई। अरुण कुमार सिंह (अ.सा.-6) वह साक्षी हैं, जिन्होंने प्रदर्श पी-31 के माध्यम से अभियोजन स्वीकृति सिद्ध की। डॉ. अनुप चटर्जी (अ.सा.-7) तथा महेंद्र लाल कुसरे (अ.सा.-8) स्वतंत्र साक्षी हैं, जिनके समक्ष ट्रैप कार्यवाही संपन्न हुई। इन्होंने अभियोजन प्रकरण का समर्थन करते हुए सम्पूर्ण घटना तथा उसके संपन्न होने की शैली या ढंग का वर्णन किया। विजय एक्का (अ.सा.-9) वह साक्षी हैं, जिनकी उपस्थिति में ट्रैप कार्यवाही की प्रारंभिक तैयारी की गई तथा उन्होंने संपूर्ण कार्यवाही जिस शैली या ढंग से पूर्ण की गई का विवरण दिया। बद्री सिंह राजपूत (अ.सा.-10) एवं मोहितराम (अ.सा.-11) विवेचना में सहयोग करने वाले

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

साक्षी हैं। भोला राम (अ.सा.-12) वह साक्षी है, जिसने शिकायतकर्ता (अ.सा.-1) के विरुद्ध लिखित शिकायत प्रदर्श पी-4 दर्ज कराई थी। उसने कथन किया कि उसने अपने उत्तरदायित्व पर ग्राम के तीन-चार व्यक्तियों से रु. 28,500/- मूल्य की भैंसें एवं बछड़े शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराए थे, किंतु उसके बार-बार कहने पर भी शिकायतकर्ता द्वारा धनराशि नहीं दी गई, इसलिए उसने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने इस तथ्य से इंकार किया कि शिकायतकर्ता ने उसे किसी भूखंड की खरीद हेतु रु. 30,000/- दिए थे तथा यदि इस आशय की कोई रिपोर्ट दर्ज की गई हो तो वह असत्य है। उसने कहा कि उसकी भेंट पुलिस थाना लोरमी में शिकायतकर्ता से हुई, जहाँ अभियुक्त/अपीलार्थी एवं एक प्रधान आरक्षक उपस्थित थे तथा चर्चा के पश्चात शिकायतकर्ता ने उसे रु. 5,000/- देने पर सहमति व्यक्त की तथा रु. 1,000/- तत्काल अभियुक्त/अपीलार्थी को उसके (शिकायतकर्ता) द्वारा दिए गए। शेष रु. 4,000/- उसके दो दिन बाद देने की बात कही गई। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि शेष धनराशि पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में दी जाएगी। वह बाजार में अभियुक्त/अपीलार्थी, बिहारी लाल (ब.सा.-1) एवं राम दाऊ डड़सेना (ब.सा.-2) की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से मिला जहाँ शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत प्रकरण में फँसाने की धमकी दी थी। इस साक्षी अनुसार, बाद में उसे ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत प्रकरण में फँसा दिया। रामजी (अ.सा.-13) ने कथन किया कि उसका शिकायतकर्ता से कोई धन संबंधी लेन-देन नहीं था। वी.एन. सिंह (अ.सा.-14) वह साक्षी हैं, जिन्होंने पुलिस विभाग में अभियुक्त/अपीलार्थी की नियुक्ति सिद्ध की। उप पुलिस अधीक्षक श्याम दास (अ.सा.-15) विवेचना अधिकारी हैं, जिन्होंने अभियोजन प्रकरण का समर्थन करते हुए शिकायत प्राप्त होने, ट्रैप पंचनामा तैयार होने, ट्रैप कार्यवाही किए जाने तथा अभियुक्त/अपीलार्थी के कब्जे से रंगे हुए नोटों की बरामदगी की शैली या ढंग का वर्णन किया। बिहारी लाल (ब.सा.-1) ने कथन किया कि वह

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभियुक्त/अपीलार्थी, शिकायतकर्ता (अ.सा.-1) एवं भोला राम (अ.सा.-12) को जानता है, जो भैंसों के क्रय-विक्रय में संलग्न थे। उसके अनुसार, भोला राम (अ.सा.-12) ने उसकी एवं राम दाऊ डड़सेना (ब.सा.-2) की उपस्थिति में लगभग 12 बछड़े शिकायतकर्ता को रु. 28,500/- में बेचे थे तथा बाद में भोला राम (अ.सा.-12) ने उससे शिकायत की कि शिकायतकर्ता धनराशि नहीं दे रहा है। उसके अनुसार, पंचायत भवन में भोला राम (अ.सा.-12) ने अभियुक्त/अपीलार्थी से उक्त (बछड़े विक्रय संबंधी) विवाद निपटाने का अनुरोध किया, जिस पर अभियुक्त/अपीलार्थी ने विवाद आपसी सहमति से सुलझाने को कहा और अंततः यह निर्णय हुआ कि शिकायतकर्ता भोला राम (अ.सा.-12) को रु. 5,000/- देगा। परंतु जब अभियुक्त/अपीलार्थी वहाँ से चला गया, तब शिकायतकर्ता ने उससे कहा कि अभियुक्त/अपीलार्थी को इस मामले में हस्तक्षेप कर निर्णय देने का अधिकार कैसे है और वह उसे झूठे प्रकरण में फँसा देगा। राम दाऊ डड़सेना (ब.सा.-2) ने भी बिहारी लाल (ब.सा.-1) के कथन के अनुरूप ही साक्ष्य दिया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के सूक्ष्म परीक्षण से यह परिलक्षित होता है कि भोला राम द्वारा शिकायतकर्ता बाबूराम के विरुद्ध दिनांक 26.07.1999 को दर्ज कराई गई शिकायत (प्रदर्श पी-4) को उसी दिन संतोष पांडे द्वारा प्रदर्श पी-3 के माध्यम से बंद कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में सितंबर माह में कथित रूप से उत्पन्न विवाद के संबंध में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की मांग किए जाने का प्रश्न संदेहास्पद प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन साक्षी भोला राम (अ.सा.-12), जिसने शिकायतकर्ता (अ.सा.-1) के विरुद्ध लिखित शिकायत प्रदर्श पी-4 दर्ज कराई थी, के कथन के अनुसार उसने अपने उत्तरदायित्व पर ग्राम के तीन-चार व्यक्तियों से रु. 28,500/- मूल्य की भैंसें एवं बछड़े शिकायतकर्ता को उपलब्ध कराए थे, किंतु उसके बार-बार अनुरोध करने के बावजूद उसे धनराशि शिकायतकर्ता द्वारा नहीं दी गई, जिसके कारण उसके द्वारा शिकायत

दर्ज कराई गई। इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से इस तथ्य से इंकार किया कि शिकायतकर्ता ने किसी भूखंड की खरीद हेतु उसे रु. 30,000/- दिए थे तथा यदि इस आशय की कोई शिकायत दर्ज की गई हो तो वह असत्य है। उसने आगे कथन किया कि उसकी भेंट पुलिस थाना लोरमी में शिकायतकर्ता से हुई, जहाँ उस समय पर अभियुक्त/अपीलार्थी तथा एक प्रधान आरक्षक भी उपस्थित थे एवं चर्चा के उपरांत शिकायतकर्ता ने उसे रु. 5,000/- देने पर सहमति व्यक्त की तथा रु. 1,000/- तत्काल अभियुक्त/अपीलार्थी को शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए एवं शिकायतकर्ता ने शेष धनराशि रु. 4,000/- उसके दो दिन पश्चात देने हेतु सहमति व्यक्त की थी। शिकायतकर्ता ने यह भी कथन किया कि उसे शेष धनराशि पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में दी जाएगी। वह बाजार में अभियुक्त/अपीलार्थी, बिहारी लाल (ब.सा.-1) एवं राम दाऊ डड़सेना (ब.सा.-2) की उपस्थिति में शिकायतकर्ता से मिला जहाँ शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत प्रकरण में फँसाने की धमकी दी थी। इस साक्षी अनुसार, बाद में उसे ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता ने अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत प्रकरण में फँसा दिया। इस साक्षी ने कथन किया कि उसकी उपस्थिति में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा शिकायतकर्ता से किसी प्रकार की मांग नहीं की गई थी। यद्यपि अभियोजन द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित नहीं किया गया, तथापि उसका कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित अभियुक्त/अपीलार्थी के न्यायालयीन कथन तथा बचाव साक्षीगण बिहारी लाल (ब.सा.-1) एवं राम दाऊ डड़सेना (ब.सा.-2) के न्यायालयीन कथनों के अनुरूप है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथन में अभियुक्त/अपीलार्थी ने यह प्रतिरक्षा ली है कि उसने भोला राम एवं शिकायतकर्ता बाबूराम के मध्य विवाद का समाधान कराने का प्रयास किया था तथा उसी ने बाबूराम से भोला राम को धनराशि वापस करने को कहा था। इस पर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाबूराम उससे नाराज हो गया और कहा कि वह कौन होता है धनराशि वापस कराने वाला, और इसी कारण उसने उसे इस प्रकरण में झूठा फँसा दिया।

9. यह न्यायिक रूप से सुस्थापित स्थिति है कि यदि धनराशि प्राप्त करने का कारण स्पष्ट किया गया है और वह स्पष्टीकरण संभावित और यथार्थसंगत पाया जाता है, तो अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। इस मामले में भी यही स्थिति है क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत अभिलिखित अभियुक्त/अपीलार्थी के कथन में उसने स्पष्ट रूप से कथन किया है कि उसने भोला राम और शिकायतकर्ता बाबूराम के मध्य विवाद का समाधान कराने का प्रयास किया था, जिस कारण शिकायतकर्ता बाबूराम उससे नाराज हो गया और उसे झूठे प्रकरण में फँसाने की धमकी दी। अतिरिक्त रूप से, इस प्रकरण में अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग का तथ्य अभियोजन द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह दोहराया है कि केवल रंगे हुए नोटों की बरामदगी, उनके भुगतान की परिस्थितियों से अलग कर दी जाए, तो वह अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है, जब प्रकरण में सारभूत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हों। यहाँ तक कि अधिकारी साक्षीगण डॉ. अनुप चटर्जी (अ.सा.-7) और महेंद्र लाल कुसरे (अ.सा.-8) ने अपने साक्ष्यों में कथन किया है कि उन्होंने अभियुक्त/अपीलार्थी को रिश्वत दिए जाने की घटना को नहीं देखा। चूंकि अभियोजन विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत करके अभियुक्त/अपीलार्थी द्वारा अवैध परितोषण की मांग सिद्ध करने में असफल रहा है, केवल रंगे हुए नोटों की बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को दोषसिद्ध करना पर्याप्त नहीं है एवं इन परिस्थितियों में अपीलार्थी को संशय का लाभ प्राप्त होना चाहिए।

10. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में दिये गए निष्कर्ष अपास्त किए जाते हैं। अभियुक्त/अपीलार्थी पर लगे

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आरोपों से उसे दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त/अपीलार्थी पहले ही जमानत पर है। उसके जमानत बंधपत्रों को निरस्त किया जाता है।

सही/-

प्रीतिंकर दिवाकर

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Prashant Kumar